Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून

OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-cepwdua@gmail.com

पत्रांकः– 655 /61(3) व्यघ (196व्यघ)–सामान्य/17 दिनांक 22/07/2022

सेवा में,

समस्त मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय/राष्ट्रीय राजमार्ग,
लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/देहरादून/अल्मोड़ा/हल्द्वानी।

विषय :– **लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ताओं की कमी के कारण विगत में संविदा के आधार पर आबद्ध कर्मियों को उनकी मैरिट सूची की वरिष्ठता के आधार पर 11 माह की अवधि हेतु नये अनुबन्ध के आधार पर संविदा पर आबद्ध किये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :– शासकीय पत्र संख्या 51005/III(1)/2022/14359/EST/2/2022 दिनांक 19.07.2022

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित शासकीय पत्र के माध्यम से विगत वर्षों में लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ताओं की कमी के कारण, कार्य की आवश्यकता के अनुसार संविदा के आधार पर कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के कार्यों हेतु आबद्ध रहे 167 कर्मियों, कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के कार्यों हेतु आबद्ध रहे 8 कर्मियों, कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) के कार्यों हेतु आबद्ध रहे 3 कर्मियों एवं कनिष्ठ अभियन्ता (यॉत्रिक) के कार्यों हेतु आबद्ध रहे 2 कर्मियों (**कुल 180 कर्मी**) को शासनादेश संख्या 379/XXX(2)/2018–30(12)/2018 दिनांक 29.10.2021 के प्रस्तर–12(2) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कलैण्डर वर्ष 2022–23 के संगत माहों/तिथि से, उनसे लिये जाने वाले कार्य की समाप्ति तक अथवा नियमित चयन के माध्यम से नियुक्त किये जाने वाले कनिष्ठ अभियन्ताओं के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अथवा 11 माह, जो भी पहले हो, तक नये अनुबन्ध के आधार पर आबद्ध किये जाने की स्वीकृति निम्न शर्तों /प्रतिबन्धों के तहत् प्रदान की गयी है:–

1. उक्त आबद्धता हेतु ऐसे कर्मी पात्र नहीं होंगे, जिनके विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक प्रकिया/कार्यवाही प्रचलित/लम्बित हो अथवा अनुशासनहीनता अथवा किसी अवांछित कृत्य हेतु प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज हो।
2. संविदा/अनुबन्ध की कार्यवाही कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के शासनादेश संख्या III/XXX(2)/2018–30(12)/2018 दिनांक 27.04.2018 (**प्रति संलग्न**) एवं शासनादेश संख्या 379/XXX(2)/2018–30(12)/2018 दिनांक 29.10.2021 (**प्रति संलग्न**) के संगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित् किया जायेगा।
3. उपरोक्तानुसार संविदा के आधार पर की जाने वाली आबद्धता की अवधि के दौरान यदि कार्मिक के विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो संबंधित कार्मिक की संविदा तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

अतः उपरोक्त वर्णित शासकीय पत्र दिनांक 19.07.2022 की प्रति, संलग्न सूची सहित इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में **कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के कार्यों हेतु आबद्ध रहे 167 कर्मियों, कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के कार्यों हेतु आबद्ध रहे 8 कर्मियों, कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) के कार्यों हेतु आबद्ध रहे 3 कर्मियों एवं कनिष्ठ अभियन्ता (यॉत्रिक) के कार्यों हेतु आबद्ध रहे 2 कर्मियों (कुल 180 कर्मी)** को विभाग में संविदा के रूप में कलैण्डर वर्ष 2022–23 हेतु आबद्ध किये जाने हेतु तैनाती कार्यालय सहित तैयार की गयी सूची संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि सूची में अंकित कर्मियों के साथ नया संविदा अनुबन्ध गठित करने हेतु निम्न शर्तों का भी विशेष रूप से अनुपालन किया जाय :–

क्रमशः पृष्ठ 02 पर/–

1. उपरोक्त शासकीय पत्र दिनांक 19.07.2022 में वर्णित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित् किया जाय।
2. नये अनुबन्ध के आधार पर आबद्ध किये जा रहे उक्त संविदा कर्मियों के साथ अनुबन्ध गठित करवाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष का होगा।
3. इस कार्यालय ज्ञाप के निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अनुबन्ध गठन के साथ–साथ संविदा कार्मिक को तैनाती कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी। निर्धारित अवधि के भीतर अनुबन्ध गठित न करने वाले कर्मियों के साथ अनुबन्ध गठित नहीं किया जायेगा।

संलग्न :– यथोपरि (180 कार्मिकों की सूची सहित)।

22.7.2022

(अयाज अहमद)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

22/07/22

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को शासकीय पत्र संख्या 51005/ III(1)/2022/14359/EST/2/2022 दिनांक 19.07.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र एवं सूची की प्रति सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र को सूची सहित विभागीय वैबसाईट में अपलोड करना सुनिश्चित् करवायें।

संलग्न :– यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 19.07.2022 एवं सूची की प्रति सहित **(ई–मेल द्वारा)** उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित् किये जाने हेतु प्रेषितः–

1. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
2. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।

संलग्न :– यथोपरि।

प्रतिलिपि सम्बन्धित कार्मिक।

प्रतिलिपि पत्रावली संख्या 196 व्यघ–सामान्य/2022 को अभिलेख हेतु।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून

OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-http://pwd.uk.gov.in **E-Mail-cepwdua@gmail.com**

पत्रांकः– 655 /61(3) व्यघ (196व्यघ)–सामान्य/17 दिनांक 22/07/2022

सेवा में,

समस्त मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय/राष्ट्रीय राजमार्ग,
लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/देहरादून/अल्मोड़ा/हल्द्वानी।

विषय :– **लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ताओं की कमी के कारण विगत में संविदा के आधार पर आबद्ध कर्मियों को उनकी मैरिट सूची की वरिष्ठता के आधार पर 11 माह की अवधि हेतु नये अनुबन्ध के आधार पर संविदा पर आबद्ध किये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :– शासकीय पत्र संख्या 51005/III(1)/2022/14359/EST/2/2022 दिनांक 19.07.2022.

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित शासकीय पत्र के माध्यम से विगत वर्षों में लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ताओं की कमी के कारण, कार्य की आवश्यकता के अनुसार संविदा के आधार पर कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के कार्यों हेतु आबद्ध रहे 167 कर्मियों, कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के कार्यों हेतु आबद्ध रहे 8 कर्मियों, कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) के कार्यों हेतु आबद्ध रहे 3 कर्मियों एवं कनिष्ठ अभियन्ता (यॉत्रिक) के कार्यों हेतु आबद्ध रहे 2 कर्मियों (**कुल 180 कर्मी**) को शासनादेश संख्या 379/XXX(2)/2018–30(12)/2018 दिनांक 29.10.2021 के प्रस्तर–12(2) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कलैण्डर वर्ष 2022–23 के संगत माहों/तिथि से, उनसे लिये जाने वाले कार्य की समाप्ति तक अथवा नियमित चयन के माध्यम से नियुक्त किये जाने वाले कनिष्ठ अभियन्ताओं के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अथवा 11 माह, जो भी पहले हो, तक नये अनुबन्ध के आधार पर आबद्ध किये जाने की स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के तहत् प्रदान की गयी है:–

1. उक्त आबद्धता हेतु ऐसे कर्मी पात्र नहीं होंगे, जिनके विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक प्रकिया/कार्यवाही प्रचलित/लम्बित हो अथवा अनुशासनहीनता अथवा किसी अवांछित कृत्य हेतु प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज हो।
2. संविदा/अनुबन्ध की कार्यवाही कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के शासनादेश संख्या III/XXX(2)/2018–30(12)/2018 दिनांक 27.04.2018 (**प्रति संलग्न**) एवं शासनादेश संख्या 379/XXX(2)/2018–30(12)/2018 दिनांक 29.10.2021 (**प्रति संलग्न**) के संगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित् किया जायेगा।
3. उपरोक्तानुसार संविदा के आधार पर की जाने वाली आबद्धता की अवधि के दौरान यदि कार्मिक के विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो संबंधित कार्मिक की संविदा तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

अतः उपरोक्त वर्णित शासकीय पत्र दिनांक 19.07.2022 की प्रति, संलग्न सूची सहित इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में **कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के कार्यों हेतु आबद्ध रहे 167 कर्मियों, कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के कार्यों हेतु आबद्ध रहे 8 कर्मियों, कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) के कार्यों हेतु आबद्ध रहे 3 कर्मियों एवं कनिष्ठ अभियन्ता (यॉत्रिक) के कार्यों हेतु आबद्ध रहे 2 कर्मियों (कुल 180 कर्मी)** को विभाग में संविदा के रूप में कलैण्डर वर्ष 2022–23 हेतु आबद्ध किये जाने हेतु तैनाती कार्यालय सहित तैयार की गयी सूची संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि सूची में अंकित कर्मियों के साथ नया संविदा अनुबन्ध गठित करने हेतु निम्न शर्तों का भी विशेष रूप से अनुपालन किया जाय :–

क्रमशः पृष्ठ 02 पर/–

1. उपरोक्त शासकीय पत्र दिनांक 19.07.2022 में वर्णित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित् किया जाय।
2. नये अनुबन्ध के आधार पर आबद्ध किये जा रहे उक्त संविदा कर्मियों के साथ अनुबन्ध गठित करवाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष का होगा।
3. इस कार्यालय ज्ञाप के निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अनुबन्ध गठन के साथ–साथ संविदा कार्मिक को तैनाती कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी। निर्धारित अवधि के भीतर अनुबन्ध गठित न करने वाले कर्मियों के साथ अनुबन्ध गठित नहीं किया जायेगा।

संलग्न :– यथोपरि (180 कार्मिकों की सूची सहित)।

(अयाज अहमद)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को शासकीय पत्र संख्या 51005/III(1)/2022/14359/EST/2/2022 दिनांक 19.07.2022 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र एवं सूची की प्रति सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र को सूची सहित विभागीय वैबसाईट में अपलोड करना सुनिश्चित् करवायें।

संलग्न :– यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 19.07.2022 एवं सूची की प्रति सहित (**ई–मेल द्वारा**) उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित् किये जाने हेतु प्रेषितः–

1. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
2. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।

संलग्न :– यथोपरि।

प्रतिलिपि सम्बन्धित कार्मिक।

प्रतिलिपि पत्रावली संख्या 196 व्यघ–सामान्य/2022 को अभिलेख हेतु।

22.7.2022
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
22/07/22

I/51005/2022
I/51005/2022

संख्याः 51005/III(1)/2022/14359/EST/2/2022

प्रेषक,

एस0एस0 वल्दिया,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 19 जुलाई,2022

विषयः– लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ताओं की कमी के कारण विगत में संविदा के आधार पर आबद्ध कर्मियों को उनकी मैरिट सूची/वरिष्ठता के आधार पर 11 माह की अवधि हेतु नये अनुबन्ध के आधार पर संविदा पर आबद्ध किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–330/61(3)व्यघ–सामान्य/18, दिनांक 11.05.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विगत वर्षों में लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ताओं की कमी के कारण, कार्य की आवश्यकता के अनुसार संविदा के आधार पर कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के कार्यों हेतु आबद्ध रहे 167 कर्मियों, कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के कार्यों हेतु आबद्ध रहे 08 कर्मियों, कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) के कार्यों हेतु आबद्ध रहे 03 कर्मियों एवं कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) के कार्यों हेतु आबद्ध रहे 02 कर्मियों (कुल 180 कर्मी–सूची संलग्न) को शासनादेश संख्या–379/XXX(2)/2018–30(12)/2018, दिनांक 29.10.2021 के प्रस्तर–12(2) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कलैण्डर वर्ष 2022–23 के संगत माहों/तिथि से, उनसे लिये जाने वाले कार्य की समाप्ति तक अथवा नियमित चयन के माध्यम से नियुक्त किये जाने वाले कनिष्ठ अभियन्ताओं के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अथवा 11 माह, जो भी पहले हो, तक नये अनुबन्ध के आधार पर संविदा पर आबद्ध किये जाने की स्वीकृति, निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(1) उक्त आबद्धता हेतु ऐसे कर्मी पात्र नहीं होंगे, जिनके विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक प्रकिया/कार्यवाही प्रचलित/लम्बित हो अथवा अनुशासनहीनता अथवा किसी अवांछित कृत्य हेतु प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज हो।

(2) संविदा/अनुबन्ध की कार्यवाही में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के शासनादेश संख्या–111/XXX(2)/2018–30(12)/2018, दिनांक 27.04.2018 एवं शासनादेश संख्या–379/XXX(2)/2018–30(12)/2018, दिनांक 29.10.2021 के संगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

Generated from eOffice by ASHISH ASWAL, ARO-PWD 1-AA, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Public Works Department on 19/07/2022 06:50 PM

I/51005/2022

(3) उपरोक्तानुसार संविदा के आधार पर की जाने वाली आबद्वता की अवधि के दौरान यदि कार्मिक के विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो सम्बन्धित कार्मिक की संविदा तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

2— कृपया मामले में तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक—180 कर्मियों की सूची।

भवदीय,

Signed by Suman Singh Waldia
Date: 19-07-2022 17:49:58
Reason: Approved

(एस0एस0 वल्दिया)
अपर सचिव।

Generated from eOffice by ASHISH ASWAL, ARO-PWD 1-AA, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Public Works Department on 19/07/2022 06:50 PM

संलग्नक–06

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता संविदा (सिविल) के पद पर तैनाती हेतु प्रस्तावित सूची (मैरिट सूची के आधार पर)

क्रमांक	नाम (सर्व श्री/श्रीमती /कु0)	पिता का नाम (सर्व श्री)	जन्मतिथि	हड़ताल में सम्मिलित (हॉ/नही)
1	2	3	4	5
1	श्री मुकेश चन्द्र जुकरिया	श्री खुशाल दत्त	10.07.1980	हॉ
2	श्री पंकज चौहान	श्री प्यार सिंह चौहान	01.11.1984	हॉ
3	श्री प्रसून नौटियाल	श्री राम प्रसाद नौटियाल	28.08.1990	हॉ
4	श्री कमलेश चन्द्र	स्व0 श्री खीमा राम	20.03.1986	हॉ
5	श्री वीरेन्द्र सिंह	श्री बालम	10.07.1979	हॉ
6	श्री कुवंर सिंह	श्री त्रिलोक सिंह	04.06.1984	हॉ
7	श्री सुरेन्द्र सिंह रावत	श्री माधो सिंह	24.06.1991	हॉ
8	श्री अमित थपलियाल	श्री राजेन्द्र प्रसाद थपलियाल	21.02.1991	हॉ
9	मो0 सिराजुद्दीन	श्री हबीब अहमद	17.06.1988	हॉ
10	श्री ललित मोहन सिंह	श्री मोहरसिंह	29.11.1985	हॉ
11	श्री अकलेश सिंह	श्री खुशी लाल	01.02.1991	हॉ
12	परमानन्द देवराड़ी	श्री चिन्तामणी	26.01.1987	हॉ
13	श्री वीरेन्द्र सिंह रावत	श्री जसपाल सिंह	15.01.1990	हॉ
14	श्री अनुराग बैंजवाल	श्री ब्रज मोहन	01.07.1989	हॉ
15	श्री सन्दीप खाली	दुर्गाप्रसाद खाली	01.01.1988	हॉ
16	श्री आशीष सिंह धर्मशक्तू	श्री नेत्र सिंह	21.12.1990	हॉ
17	श्री आशीष सिंह पंवार	श्री विक्रम सिंह	19.06.1989	हॉ
18	कु0 भावना रावत	श्री रतन सिंह	02.01.1991	हॉ
19	श्री चण्डी प्रसाद भट्ट	श्री हरिबल्लभ भट्ट	15.06.1985	हॉ
20	श्री सन्दीप बिष्ट	श्री गब्बर सिंह	18.08.1990	हॉ
21	श्री अनुराग त्रिपाठी	श्री पी0एन0 त्रिपाठी	26.07.1990	हॉ
22	श्री गौरव जोशी	श्री विवेकानन्द	06.08.1988	हॉ
23	श्री योगेश कुमार	श्री ओम प्रकाश	27.01.1988	हॉ
24	श्री अरविन्द्र सिंह	श्री जगदीश सिंह	10.05.1991	हॉ
25	श्री रजत नेगी	श्री रणजीत सिंह नेगी	25.06.1986	हॉ
26	श्री अमित कुमार	श्री सत्यपाल सिंह	20.05.1991	हॉ

कमांक	नाम (सर्व श्री/श्रीमती /कु0)	पिता का नाम (सर्व श्री)	जन्मतिथि	हड़ताल में सम्मिलित (हॉ/नही)
1	2	3	4	5
27	श्री सतीश कुमार	श्री देव राम	11.11.1987	हॉ
28	श्री ईशांक कन्सवाल	श्री महावीर सिंह	10.06.1991	हॉ
29	श्री रणदेव सिंह राणा	श्री राजेन्द्र सिंह	10.06.1991	हॉ
30	श्री सुनील प्रसाद	श्री देवेन्द्र प्रसाद	04.06.1986	हॉ
31	श्री विरेन्द्र कुमार	श्री जीवन लाल	11.10.1984	हॉ
32	श्री अजय जुगत्वान	श्री रणजीत सिंह	15.04.1990	हॉ
33	श्री अशोक कुमार मैखुरी	श्री पूरण चन्द्र	05.02.1987	हॉ
34	श्री अभिषेक सिंह	श्री हरिमोहन सिंह	05.03.1987	हॉ
35	श्री अक्षय तोमर	श्री वीरेन्द्र सिंह तोमर	12.03.1985	हॉ
36	कु0 रीना रतूड़ी	श्री सुन्दर लाल रतूड़ी	31.03.1988	हॉ
37	श्री दर्शन सिंह कठायत	श्री सुरेन्द्र सिंह	29.05.1989	हॉ
38	श्री आशुतोष शर्मा	श्री बी0एस0 शर्मा	28.07.1987	हॉ
39	श्री दीपक सेमवाल	श्री रतनमणी सेमवाल	29.04.1991	हॉ
40	श्री जगदीश प्रसाद	श्री उत्सव सिंह	05.05.1972	हॉ
41	श्री विपिन कुमार	श्री जयपाल सिंह	27.10.1990	हॉ
42	श्री विरेन्द्र सिंह दानू	श्री हिम्मत सिंह दानू	21.04.1988	हॉ
43	श्री संजय सिंह कनवाल	श्री उमेद सिंह	03.07.1990	हॉ
44	श्री आनन्द प्रसाद	श्री रामप्रसाद	02.01.1984	हॉ
45	मो0 आरिफ	श्री मो0 असलम	04.12.1990	हॉ
46	श्री यतीश बिष्ट	श्री कृष्ण चन्द्र बिष्ट	19.07.1987	हॉ
47	श्री नरेन्द्र सिंह	श्री जगत सिंह	01.08.1990	हॉ
48	श्री नवीन सिंह चौहान	श्री नारायण सिंह	25.08.1988	हॉ
49	श्री जगमोहन सिंह	श्री करन सिंह	16.01.1991	हॉ
50	कु0 पूजा राणा	श्री धन सिंह राणा	03.06.1991	हॉ
51	श्री बृजेश जोशी	श्री बलराम जोशी	08.02.1991	हॉ
52	श्री महेश प्रसाद कोठारी	श्री भगवती प्रसाद	10.06.1991	हॉ
53	श्रीमती कमला पन्त	श्री राधा कृष्ण पन्त	11.10.1987	हॉ
54	कु0 सोनम पुरोहित	श्री भाष्करानन्द पुरोहित	02.06.1991	हॉ
55	श्री अनीश भट्ट	श्री शम्भू प्रसाद भट्ट	07.08.1990	हॉ

क्रमांक	नाम (सर्व श्री/श्रीमती /कु0)	पिता का नाम (सर्व श्री)	जन्मतिथि	हड़ताल में सम्मिलित (हॉ/नही)
1	2	3	4	5
56	श्री शकील अहमद	श्री सुआल अहमद	09.04.1990	हॉ
57	श्री कुलदीप सिंह राणा	श्री बलवीर सिंह राणा	05.01.1991	हॉ
58	श्री अमित कुमार गौड़	स्व0 श्री योगेश्वर प्रसाद गौड़	10.03.1983	हॉ
59	श्री प्रदीप बिष्ट	श्री भरत सिंह बिष्ट	05.01.1991	हॉ
60	कु0 पूजा रावत	श्री जगदीश सिंह रावत	24.04.1990	हॉ
61	श्री प्रदीप कुमार जोशी	श्री चन्द्रभूषण जोशी	03.11.1987	हॉ
62	कु0 विनीता आर्य	श्री रामस्वरुप	02.03.1991	हॉ
63	श्री हिमांशु बहुगुणा	श्री मायाराम	03.01.1982	हॉ
64	श्री अजय पंवार	श्री गबर सिंह पंवार	18.04.1989	हॉ
65	श्री पूरन सिंह रावत	श्री लक्ष्मण सिंह	10.04.1991	हॉ
66	श्री चेतन चौहान	श्री दर्मियान सिंह	01.07.1991	हॉ
67	श्री अनुज रावत	श्री जगवीर सिह	12.04.1990	हॉ
68	श्री सुरेश भट्ट	श्री सतीश भट्ट	14.11.1987	हॉ
69	श्री धर्मेश रावत	श्री बृजमोहन	01.06.1991	हॉ
70	कु0 दीपा बिष्ट	श्री हीरा सिंह बिष्ट	04.11.1987	हॉ
71	श्री रविन्द्र चौहान	श्री सुन्दर सिंह चौहान	07.07.1989	हॉ
72	श्री योगेश चन्द्र चौबे	श्री बलदेव राज चौबे	11.10.1985	हॉ
73	कु0 नेहा सिंह	पुत्री श्री नारायण सिंह	20.01.1991	हॉ
74	श्री मनोज कुमार	श्री हरि राम	17.03.1978	हॉ
75	श्री उपेन्द्र कुमार	श्री भगवान सिंह	20.05.1989	हॉ
76	श्री आशीष कुमार	श्री सूरत लाल	02.07.1988	हॉ
77	कु0 गायत्री काण्डपाल	श्री हरीश चन्द्र	29.07.1990	हॉ
78	श्री मनोज कुमार	श्री मुरली	31.01.1983	हॉ
79	श्री गोपेश पाण्डे	श्री रमेश चन्द्र पाण्डे	01.04.1981	हॉ
80	श्री प्यारेलाल डंगवाल	श्री रामदयाल डंगवाल	31.03.1977	हॉ
81	श्री संदीप तिवारी	श्री राज नारायण तिवारी	28.06.1990	हॉ
82	कु0 बिन्टो असद	स्व0 श्री ॲफजाल अहमद	03.01.1986	हॉ
83	श्री हरीश जोशी	श्री दत्त राम जोशी	15.06.1989	हॉ
84	श्री गोविन्द सिंह अधिकारी	श्री केशर सिंह अधिकारी	30.06.1991	हॉ

क्रमांक	नाम (सर्व श्री/श्रीमती /कु0)	पिता का नाम (सर्व श्री)	जन्मतिथि	हड़ताल में सम्मिलित (हॉ/नही)
1	2	3	4	5
85	कु0 मनीषा गुसांई	श्री हरेन्द्र सिंह गुसांई	01.07.1989	हॉ
86	श्री मनोज बिष्ट	स्व0 श्री रमेश चन्द्र बिष्ट	04.12.1987	हॉ
87	श्री मनोज कुमार मौर्या	श्री नरेश कुमार	01.09.1990	हॉ
88	श्री नवल किशोर बिष्ट	श्री करम सिंह बिष्ट	16.08.1983	हॉ
89	श्री आकाश मोहन	श्री ज्योति प्रसाद धूलिया	15.06.1983	हॉ
90	कु0 अनीता मेहरा	श्री बचन सिंह मेहरा	07.01.1989	हॉ
91	कु0 संध्या	श्री वचन सिंह	09.12.1986	हॉ
92	श्री रविन्द्र बिष्ट	श्री आनन्द सिह बिष्ट	02.06.1985	हॉ
93	श्री अरुण प्रकाश	श्री शिव प्रसाद	24.06.1987	हॉ
94	श्री अनिल विजय	श्री मणीराम भट्ट	05.12.1990	हॉ
95	श्री सूरज शाह	श्री जगत शाह	26.01.1991	हॉ
96	श्री जगदीश बिष्ट	श्री नारायण सिंह नेगी	13.02.1991	हॉ
97	कु0 अर्चना बिष्ट	श्री जीवन सिंह बिष्ट	26.03.1990	हॉ
98	कु0 ऋचा नेगी	श्री जसपाल सिंह	07.12.1987	हॉ
99	श्री भूपाल सिंह	श्री ज्ञानचन्द्र	10.04.1986	हॉ
100	सुश्री आशालता शाह	स्व0 श्री प्रेम लाल शाह	20.01.1991	हॉ
101	श्री रविन्द्र सिंह चौहान	श्री हाकम सिंह	14.03.1987	हॉ
102	श्री गौरव कुमार	श्री शिव चरण	13.04.1991	हॉ
103	कु0 अंजली	श्री गंगा सरन	08.11.1986	हॉ
104	श्री राजेन्द्र सिंह	श्री बलबीर सिंह	15.04.1990	हॉ
105	श्री अमरदीप	श्री ओम प्रकाश	25.03.1986	हॉ
106	श्री दीपक कुमार	श्री देशराज	12.02.1990	हॉ
107	श्री हरेन्द्र कुमार	श्री जीत लाल	27.06.1991	हॉ
108	श्री अंकित सुन्दरियाल	श्री एस0पी0 सुन्दरियाल	20.11.1990	हॉ
109	श्री योगेश डोबरियाल	श्री पति राम डोबरियाल	01.12.1980	हॉ
110	श्री जीसुख चौधरी	श्री सुखवीर सिंह	20.06.1990	हॉ
111	श्री पंकज शर्मा	श्री सूरत राम	06.06.1991	हॉ
112	कु0 दीक्षा नेगी	श्री गंगा सिंह नेगी	10.06.1991	हॉ
113	श्री सन्नी कुमार सैनी	श्री सुरेश चन्द्र सैनी	01.06.1990	हॉ

क्रमांक	नाम (सर्व श्री/श्रीमती /कु0)	पिता का नाम (सर्व श्री)	जन्मतिथि	हड़ताल में सम्मिलित (हॉ/नही)
1	2	3	4	5
114	श्रीमती रेखा रावत	पत्नी श्री प्रदीप सिंह रावत	04.05.1986	हॉ
115	श्री गौरव भण्डारी	श्री दलवीर सिंह भण्डारी	27.07.1988	हॉ
116	श्री मनोज कुमार गैडा	श्री भूपाल सिंह	01.02.1989	हॉ
117	श्री राहुल सैनी	श्री जसवीर सिंह सैनी	04.07.1990	हॉ
118	श्री नीरज कुमार	श्री खीम राम	02.05.1991	हॉ
119	श्री अशोक कुमार	श्री रमेश लाल	17.07.1987	हॉ
120	श्री धर्मेन्द्र सिंह चौहान	श्री प्रेम सिंह चौहान	23.09.1980	हॉ
121	श्री श्रीजय कुमार	श्री प्रेम लाल	07.01.1989	हॉ
122	श्री सुमित सैनी	श्री यशपाल सिंह सैनी	18.05.1990	हॉ
123	श्री प्रदीप पुरी	श्री आनन्द पुरी	18.07.1989	हॉ
124	कु0 नेहा चौहान	श्री हरि किशन चौहान	01.07.1990	हॉ
125	श्री प्रशान्त चन्दोला	श्री विजय कुमार चन्दोला	06.01.1989	हॉ
126	श्री राजेन्द्र सिंह	श्री गोविन्द	03.02.1984	हॉ
127	श्री मुकेश रावत	श्री सुख पाल सिंह	26.08.1988	हॉ
128	श्री संजीत सिंह	श्री रामलाल सिंह	01.01.1986	हॉ
129	श्री सन्दीप असवाल	श्री गजेन्द्र सिंह असवाल	07.07.1986	हॉ
130	श्रीमती गीता कनवाल	पत्नी श्री हरीश सिंह	12.05.1988	हॉ
131	श्री नरेन्द्र दत्त	श्री भूपदेव सकलानी	10.05.1987	हॉ
132	श्री आनन्द डिमरी	श्री राधाकृष्ण डिमरी	27.08.1989	हॉ
133	श्री अनिल सिंह	श्री नन्दन सिंह	15.03.1985	हॉ
134	श्री नन्दन प्रसाद टम्टा	श्री शेखर प्रसाद	10.01.1991	हॉ
135	कु0 सोनम बिष्ट	श्री रमेश बिष्ट	09.09.1990	हॉ
136	कु0 रजनी रावत	श्री उमेश्वर सिंह रावत	04.04.1986	हॉ
137	श्री जयेन्द्र सिंह	श्री खेम सिंह	10.07.1984	हॉ
138	कु0 शिखा	श्री धनश्याम	26.03.1991	हॉ
139	श्री कुशराज सैनी	श्री सुरेश पाल सैनी	05.07.1990	हॉ
140	श्री गणेश प्रसाद चमोली	श्री माधवानन्द चमोली	01.10.1980	हॉ
141	श्री राहुल बिष्ट	श्री जयवीर सिंह बिष्ट	30.08.1990	हॉ
142	श्री वेद प्रकाश	श्री विद्यासागर	30.01.1985	हॉ

क्रमांक	नाम (सर्व श्री/श्रीमती /कु0)	पिता का नाम (सर्व श्री)	जन्मतिथि	हड़ताल में सम्मिलित (हॉ/नही)
1	2	3	4	5
143	श्री आशुतोष वर्मा	श्री भगवत वर्मा	14.06.1989	हॉ
144	श्री अनुराग देव	श्री हर्षमणि	30.04.1991	हॉ
145	कु0 निवेदिता गुसांई	श्री बी0एस0 गुसांई	03.03.1988	हॉ
146	श्री नीरज भण्डारी	श्री प्रियदर्शन सिंह भण्डारी	15.07.1987	हॉ
147	श्री आशीष भारती	श्री सोहन लाल	20.11.1990	हॉ
148	श्री तनवीर आलम	श्री मो0 इस्लाम	03.04.1985	हॉ
149	श्री मनोज	श्री धन सिंह	05.01.1979	हॉ
150	श्री तनवीर आलम	श्री अशरफ	10.10.1990	हॉ
151	श्री योगेश प्रताप सिंह	श्री दया लाल	27.02.1991	हॉ
152	श्री ज्ञानेन्द्र तिवारी	श्री रमेश चन्द्र	25.05.1989	हॉ
153	श्री सुनील सिंह रावत	श्री खुशहाल सिंह रावत	20.03.1988	हॉ
154	श्री प्रेम सिह	श्री नन्दन सिह	04.07.1986	हॉ
155	श्री यशपाल सिंह चौहान	श्री उम्मेद सिंह चौहान	04.04.1985	हॉ
156	कु0 सुधा महर	श्री शेर सिंह	10.05.1988	हॉ
157	श्री बृजपाल	श्री जगराम सिंह	10.07.1987	हॉ
158	श्री किशोर बंगारी	श्री हरी सिंह	12.07.1990	हॉ
159	श्री आदित्य कुमार पाटनी	श्री रमेश चन्द्र पाटनी	20.06.1989	हॉ
160	श्री सुभाष कुमार	श्री नन्दलाल	05.05.1991	हॉ
161	श्री संजय जोशी	श्री दिवाकर दत्त जोशी	08.02.1982	हॉ
162	श्री हिमांशु सक्सेना	श्री रामवतार सक्सेना	02.04.1978	हॉ
163	श्री मोहित वर्मा	श्री विजय पाल वर्मा	04.11.1986	हॉ
164	श्री विरेन्द्र कुमार	श्री दयाल राम	10.05.1982	हॉ
165	श्री अरुण झण्डियाल	श्री ऋषिराम झण्डियाल	04.11.1989	हॉ
166	श्री दिनेश सिहं बिष्ट	श्री नैन सिंह बिष्ट	01.07.1986	हॉ
167	श्री अश्वनी कुमार	श्री बिक्रम सिंह	05.07.1988	हॉ

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून
09/05/2022

संलग्नक–07

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता संविदा (प्राविधिक) के पद पर तैनाती हेतु प्रस्तावित सूची (मैरिट सूची के आधार पर)

कमांक	नाम (सर्व श्री/श्रीमती /कु0)	पिता का नाम (सर्व श्री)	जन्मतिथि	हड़ताल में सम्मिलित (हॉ/नही)
1	2	3	4	5
1	कु0 संगीता भट्ट	श्री बेणीराम भट्ट	07.06.93	हॉ
2	श्री अखिलेश सिंह राणा	श्री दयाल सिंह राणा	01.05.86	हॉ
3	श्री बालम सिंह	श्री धन सिंह	10.06.92	हॉ
4	कु0 शोभा	श्री बलराम	12.06.91	हॉ
5	श्री जावेद अनवर	मौ0 यासिन	15.12.85	हॉ
6	मौ0 शारिक अंसारी	श्री नसीम अन्सारी	05.08.91	हॉ
7	श्री विपिन कुमार	श्री चन्द्र मोहन	19.06.89	हॉ
8	श्री अमित कुमार	श्री मोहन लाल	24.02.92	हॉ

11.05.22

09/05/2022

संलग्नक–08

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता संविदा (विद्युत) के पद पर तैनाती हेतु प्रस्तावित सूची (मैरिट के आधार पर)

कमांक	नाम (सर्व श्री/श्रीमती /कु0)	पिता का नाम (सर्व श्री)	जन्मतिथि	हड़ताल में सम्मिलित (हॉ/नही)
1	2	3	4	5
1	श्री देशराज सिंह	श्री रमेश सिंह	28.12.83	हॉ
2	श्री धर्मेन्द्र कुमार	श्री महानन्द सिंह	06.06.82	हॉ
3	श्री अजरुदीन अनसारी	श्री अलाउद्छीन अंसारी	22.08.88	हॉ

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून
09/05/2022

संलग्नक–09

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता संविदा (यॉत्रिक) के पद पर तैनाती हेतु प्रस्तावित सूची (मैरिट के आधार पर)

कमांक	नाम (सर्व श्री/श्रीमती /कु0)	पिता का नाम (सर्व श्री)	जन्मतिथि	हड़ताल में सम्मिलित (हॉ/नही)
1	2	3	4	5
1	श्री रविन्द्र भण्डारी	श्री गबर सिंह भण्डारी	04.03.89	हॉ
2	श्री योगेश दुबे	श्री सन्तोष दुबे	06.07.85	हॉ

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
09/05/2022

Scanned with CamScanner

संख्याः /XXX(2)/2018-30(12)/2018

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

3. समस्त विभागाध्यक्ष/
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 17 अप्रैल, 2018

विषयः विभिन्न विभागों में दैनिक वेतन/संविदा एवं आउटसोर्स पर तैनात कार्मिकों के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 एवं अन्य सुसंगत अनुच्छेदों के अधीन गठित सुसंगत सेवानियमावलियों के प्राविधानों के अनुसार राज्याधीन सेवाओं/पदों पर नियमित नियुक्तियां किये जाने की व्यवस्था विद्यमान है। इससे इतर कतिपय विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा विभागीय कार्यों के सम्पादन हेतु रिक्त पदों के सापेक्ष अल्पकालिक, अंशकालिक एवं पूर्णकालिक आधार पर संविदा, कार्यप्रभारित, अंशकालिक, दैनिक वेतन, नियत वेतन एवं सेवा प्रदाता संस्था (बाह्य स्रोत) के माध्यम से कतिपय व्यक्तियों को नियोजित किया जा रहा है।

2. शासन के संज्ञान में लाया गया है कि उक्त नियोजित व्यक्तियों अथवा वाह्य स्रोत के माध्यम से नियोजित व्यक्तियों को बिना व्यवधान के लम्बे समय तक रखे जाने पर सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा प्रायः "समान कार्य समान वेतन" के आधार पर राज्य के नियमित पदधारकों के समान वेतनमान दिये जाने का अनुरोध किया जा रहा है तथा इस आशय की याचिकायें भी समय–समय पर मा0 न्यायालयों में योजित की जा रही हैं। शासन के समक्ष ऐसे मामले आये हैं, जिनमें उक्त व्यक्तियों द्वारा श्रम न्यायालय अथवा मा0 उच्च न्यायालय/मा0 उच्चतम न्यायालय में दावा प्रस्तुत करके नियमित रूप से सेवायोजित कार्मिकों की भांति समान वेतनमान दिये जाने अथवा समकक्ष पदधारक के वेतनमान का न्यूनतम वेतन दिये जाने के आदेश प्राप्त किये गये हैं। इसी प्रकार विभाग/अधिष्ठान में पद सृजित न होने पर

भी उक्तानुसार नियोजित व्यक्तियों द्वारा भी समान प्रकृति का कार्य वेतनमान दिये जाने के आदेश प्राप्त कर लिए गये।

3. **मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा उड़ीसा राज्य व अन्य बनाम बलराम साहू व अन्य के मामले में ए0आई0आर0 2003 सु0 कोर्ट 33, में व्यवस्था दी है कि दैनिक वेतन, अस्थायी अथवा आकस्मिक श्रमिक नियमित कार्मिकों के समान वेतनमान (Pay Scale) पाने का हकदार नहीं है।** उक्त न्याय–निर्णय के क्रम में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 831/कार्मिक–2/2003 दिनांक 16 जून, 2003 में यह स्पष्ट किया गया है कि दैनिक वेतन/संविदा/तदर्थ/अंशकालिक/कार्यप्रभारित/नियत वेतन एवं वाह्य स्रोत से नियोजित व्यक्ति नियमित कर्मी की तरह समान वेतनमान पाने का हकदार नहीं है।

4. कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–1803/कार्मिक–2/2002 दिनांक 06 फरवरी, 2003 द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के अधीन संविदा/नियत वेतन/अंशकालिक/दैनिक वेतन/तदर्थ/वाह्यस्रोत से की जाने वाली नियुक्तियों पर रोक सम्बन्धी निदेश जारी किए गये हैं।

5. उक्त के क्रम में यह स्पष्ट किया जाना है कि वित्तीय नियमों में वेतनमान किसी पद के साथ सम्बद्ध रहता है। दैनिक वेतन एवं बाह्य स्रोत पर तैनात व्यक्ति कोई पद धारण नहीं करता है बल्कि उनकी ठेकेदार अथवा सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से विभागीय कार्य निस्तारण हेतु उनकी सेवायें ली जाती है। ऐसी स्थिति में उनकी नियमित कर्मियों के साथ कोई समानता निर्धारित नहीं की जा सकती है। समान कार्य के लिये समान वेतनमान की मांग के लिये यह आवश्यक है कि जिस नियमित पदधारक के साथ तुलना की जा रही है उसके साथ पूर्ण समानता हो अर्थात पद की भर्ती प्रक्रिया, शैक्षिक योग्यता, अधिमानी अर्हता, कार्य दायित्व, राज्य सरकार द्वारा गठित चयन संस्था के माध्यम से (खुली प्रतिस्पर्धा) से चयन, कार्यावधि, समान योग्यता, आयु सीमा, चरित्र सत्यापन, वैवाहिक प्रास्थिति, राष्ट्रीयता, पद की गोपनीयता एवं संवेदनशीलता के प्रति उत्तरदायित्व आदि मापदण्डों की समानता हो। **इस संबंध में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या–217 ऑफ 2013 स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य बनाम जगजीत सिंह व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.10.2016 के प्रस्तर–42 में 'समान कार्य समान वेतन' के निर्धारण हेतु कतिपय निम्न मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं :–**

42. All the judgments noticed in paragraphs 7 to 24 hereinabove, pertain to employees engaged on regular basis, who were claiming higher wages, under the principle of 'equal pay for equal work'. The claim raised by such employees was premised on the ground, that the duties and responsibilities rendered by them, were against the same post for which a higher pay-scale was being

allowed, in other Government departments. Or alternatively, their duties and responsibilities were the same, as of other posts with different designations, but they were placed in a lower scale. Having been painstakingly taken through the **parameters laid down by this Court, wherein the principle of 'equal pay for equal work' was invoked and considered, it would be just and appropriate, to delineate the parameters laid down by this Court.** In recording the said parameters, we have also adverted to some other judgments pertaining to temporary employees (also dealt with, in the instant judgment), wherein also, this Court had the occasion to express the legal position with reference to the principle of'equal pay for equal work'. Our consideration, has led us to the following deductions:-

(i) The 'onus of proof', **of parity in the duties and responsibilities** of the subject **post with the reference post, under the principle of 'equal pay for** equal work', lies on the person who claims it. He who approaches the Court has to establish, that the subject post occupied by him, requires him to discharge equal work of equal value, as the reference post (see – the Orissa University of Agriculture & Technology case10, Union Territory Administration, Chandigarh v. Manju Mathur15, the Steel Authority of India Limited case16, and the National Aluminum Company Limited case18).

(ii) **The mere fact that the subject post occupied by the claimant, is in** a"different department" vis-a-vis the reference post, does not have any bearing on the determination of a claim, under the principle of 'equal pay for equal work'. Persons discharging identical duties, cannot be treated differently, in the matter of their pay, n[illegible] because they belong to different departments of Government (see – the [illegible]dhir Singh case1, and the D.S. Nakara case2).

(iii) The principle of 'equal pay for equal work', **applies to cases of unequal scales of pay, based on no classification or irrational classification (see – the Randhir Singh case1). For equal** pay, the concerned employees with whom equation is sought, should be performing work, which besides being functionally equal, should be of the same quality and sensitivity (see – the Federation of All India Customs and Central Excise Stenographers (Recognized) case3, the Mewa Ram Kanojia case5, the Grih Kalyan Kendra Workers' Union case6 and the S.C. Chandra case12).

(iv) Persons holding the same rank/designation (in different departments), but having dissimilar powers, duties and responsibilities, can be placed in different scales of pay, and cannot claim the benefit of the principle of'equal pay for equal work' (see – the Randhir Singh case1, State of Haryana v. Haryana Civil Secretariat Personal Staff Association9, and the Hukum Chand Gupta case17). Therefore, the principle would not be automatically invoked, merely because the subject and reference posts have the same nomenclature.

(v) In determining equality of functions and responsibilities, under the principle of 'equal pay for equal work', it is necessary to keep in mind, that the duties of the two posts should be of equal sensitivity, and also, qualitatively similar. Differentiation of pay-scales for posts with difference in degree of responsibility, reliability and confidentiality, would fall within the realm of valid classification, and therefore, pay differentiation would be legitimate and permissible (see – the Federation of All India Customs and Central Excise Stenographers (Recognized) case3 and the State Bank of India case8). The nature of work of the subject post should be the same and not less onerous than the reference post. Even the volume of work should be the same. And so also, the level of responsibility. If these parameters are not met, parity cannot be claimed under the principle of 'equal pay for equal work' (see - State of U.P. v. J.P. Chaurasia4, and the Grih Kalyan Kendra Workers' Union case6).

(vi) For placement in a regular pay-scale, the claimant has to be a regular appointee. The claimant should have been selected, on the basis of a regular process of recruitment. An employee appointed on a temporary basis, cannot claim to be placed in the regular pay-scale (see – the Orissa University of Agriculture & Technology case10).

(vii) Persons performing the same or similar functions, duties and responsibilities, can also be placed in different pay-scales. Such as -'selection grade', in the same post. But this difference must emerge out of a legitimate foundation, such as – merit, or seniority, or some other relevant criteria (see - State of U.P. v. J.P. Chaurasia4).

(viii) If the qualifications for recruitment to the subject post vis-a-vis the reference post are different, it may be difficult to conclude, that the duties and responsibilities of the posts are qualitatively similar or comparable (see – the

Mewa Ram Kanojia case5, and Government of W.B. v. Tarun K. Roy11). In such a cause, the principle of 'equal pay for equal work', cannot be invoked.

(ix) The reference post, with which parity is claimed, under the principle of 'equal pay for equal work', has to be at the same hierarchy in the service, as the subject post. Pay-scales of posts may be different, if the hierarchy of the posts in question, and their channels of promotion, are different. Even if the duties and responsibilities are same, parity would not be permissible, as against a superior post, such as a promotional post (see - Union of India v. Pradip Kumar Dey7, and the Hukum Chand Guptacase17).

(x) A comparison between the subject post and the reference post, under the principle of 'equal pay for equal work', cannot be made, where the subject post and the reference post are in different establishments, having a different management. Or even, where the establishments are in different geographical locations, though owned by the same master (see – the Harbans Lal case23). Persons engaged differently, and being paid out of different funds, would not be entitled to pay parity (see - Official Liquidator v. Dayanand13).

(xi) Different pay-scales, in certain eventualities, would be permissible even for posts clubbed together at the same hierarchy in the cadre. As for instance, if the duties and responsibilities of one of the posts are more onerous, or are exposed to higher nature of operational work/risk, the principle of 'equal pay for equal work' would not be applicable. And also when, the reference post includes the responsibility to take crucial decisions, and that is not so for the subject post (see – the State Bank of India case8).

(xii) The priority given to different types of posts, under the prevailing policies of the Government, can also be a relevant factor for placing different posts under different pay-scales. Herein also, the principle of 'equal pay for equal work' would not be applicable (see - State of Haryana v. Haryana Civil Secretariat Personal Staff Association9).

(xiii) The parity in pay, under the principle of 'equal pay for equal work', cannot be claimed, merely on the ground, that at an earlier point of time, the subject post and the reference post, were placed in the same pay-scale. The principle of 'equal pay for equal work' is applicable only when it is shown, that the incumbents of the subject post and the reference post, discharge similar

duties and responsibilities (see - State of West Bengal v. West Bengal Minimum Wages Inspectors Association14).

(xiv) For parity in pay-scales, under the principle of 'equal pay for equal work', equation in the nature of duties, is of paramount importance. If the principal nature of duties of one post is teaching, whereas that of the other is non-teaching, the principle would not be applicable. If the dominant nature of duties of one post is of control and management, whereas the subject post has no such duties, the principle would not be applicable. Likewise, if the central nature of duties of one post is of quality control, whereas the subject post has minimal duties of quality control, the principle would not be applicable (see - Union Territory Administration, Chandigarh v. Manju Mathur15).

(xv) There can be a valid classification in the matter of pay-scales, between employees even holding posts with the same nomenclature i.e., between those discharging duties at the headquarters, and others working at the institutional/sub-office level (see – the Hukum Chand Gupta case17), when the duties are qualitatively dissimilar.

(xvi) The principle of 'equal pay for equal work' would not be applicable, where a differential higher pay-scale is extended to persons discharging the same duties and holding the same designation, with the objective of ameliorating stagnation, or on account of lack of promotional avenues (see– the Hukum Chand Gupta case17).

(xvii) Where there is no comparison between one set of employees of one organization, and another set of employees of a different organization, there can be no question of equation of pay-scales, under the principle of 'equal pay for equal work', even if two organizations have a common employer. Likewise, if the management and control of two organizations, is with different entities, which are independent of one another, the principle of 'equal pay for equal work' would not apply (see – the S.C. Chandra case12, and the National Aluminum Company Limited case18).

6. इसी प्रकार अन्य प्रकरणों में भी मा0 न्यायालय द्वारा निम्नवत् स्पष्ट दिशा–निर्देश दिये गये हैं :–

(1) स्टेट ऑफ पंजाब एवं अन्य बनाम सीनियर बोकेशनल स्टॉफ मास्टर एसोसियेसन एवं अन्य सिविल अपील संख्या 632/2008 दिनांक 18.08.2017

(2) स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य बनाम जे0पी0 चौरसिया एवं अन्य (1989) 1 एससीसी 121

(3) श्याम बाबू वर्मा एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य (1994) 2 एससीसी 521

(4) पश्चिम बंगाल सरकार बनाम तरूण के0 राय एवं अन्य (2004) 1 एससीसी 347

7. मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेशों के कम में सभी विभागों द्वारा उक्तानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

8. मा० न्यायालयों द्वारा 'समान कार्य समान वेतन' निर्धारण के सम्बन्ध में समय–समय पर स्थापित मानदण्डों के आलोक में विश्लेषण करने पर नियमित कार्मिकों एवं संविदा/नियत वेतन/अंशकालिक/दैनिक वेतन/वाह्य स्रोत से नियोजित व्यक्तियों की प्रास्थिति में सम्प्रति निम्नवत् भिन्नता स्पष्ट परिलक्षित होती है :–

क्र. सं.	निर्धारित मानक	नियमित कार्मिक हेतु निर्धारित मापदण्ड	संविदा/नियतवेतन/अंशकालिक/तदर्थ/कार्य–प्रभारित/दैनिक वेतन/वाह्यस्रोत से नियोजित व्यक्ति
1.	प्रास्थिति (Status)	संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गठित सुसंगत नियमावली के अधीन नियुक्त होने के कारण विधिक प्रास्थिति।	विहित विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत नियुक्त न होने के कारण कोई विधिक प्रास्थिति नहीं है।
2.	भर्ती प्रक्रिया	सुसंगत सेवा नियमावली में वर्णित शैक्षिक अर्हता/आयु सीमा/राष्ट्रीयता/वैवाहिक प्रास्थिति/चरित्र आदि विषयक प्राविधानों के आलोक में विधिक संस्थाओं यथा चयन आयोग/चयन बोर्ड के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 के अनुरूप अवसर की समानता के आधार पर विज्ञापन (Open Market) के माध्यम से विहित विधिक प्रक्रिया द्वारा भर्ती।	संविदा/नियत वेतन/अंशकालिक/कार्यप्रभारित/दैनिक वेतन के आधार पर नियोजित व्यक्ति विहित विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत नियोजित नहीं किये जाते है। आउटसोर्स आधारित नियोजन भी किसी आउटसोर्सिंग एजेन्सी या ठेकेदार जैसे तृतीय पक्ष के माध्यम से किया जाता है। उक्त नियोजन किसी विज्ञापन अथवा खुली चयन प्रकिया के आधार पर नहीं किया जाता है। जो अवसर की समानता के अनुरूप नहीं है।
3.	सेवा की शर्तें	संविधान के अनुच्छेद 309 एवं संगत अनुच्छेदों के अधीन प्रदत्त अधिकारों	कोई प्राविधान नहीं है।

		के तहत निर्मित नियमावलियों में वर्णित सेवा की शर्तें।	
4.	परिवीक्षा काल	नियुक्ति/पदोन्नति होने पर सुसंगत नियमावली के अनुसार परिवीक्षा काल पूर्ण करना अनिवार्य।	परिवीक्षा अवधि में रखे जाने की को व्यवस्था नहीं है।
5.	लियन/ स्थायीकरण	स्थाई पद के सापेक्ष नियमित नियुक्ति होने पर नियमित कार्मिक का लियन/स्थायीकरण की व्यवस्था उपबन्धित है।	कोई प्राविधान नहीं।
6.	नियोक्ता–कर्मचारी संबंध	नियोक्ता तथा नियमित कार्मिक के मध्य प्रत्यक्ष एवं विधिक सम्बन्ध होता है।	नियोक्ता एवं सेवा प्रदाता संस्था के मध्य सम्बन्ध होता है। नियोजित व्यक्ति का संस्था से संबंध स्थापित होता है लेकिन नियोजित व्यक्ति का नियोक्ता से सीधा सम्बन्ध नहीं होता है।
7.	भुगतान की प्रकृति	जिस पद के सापेक्ष नियुक्ति होती है उस पद हेतु वित्तीय नियमों/शासन द्वारा निर्धारित वेतन/भत्ते।	संविदा/नियत वेतन/अंशकालिक/ दैनिक वेतन पर नियोजित व्यक्तियों को भुगतान उनके अनुबन्ध में उल्लिखित धनराशि पारिश्रमिक/ मानदेय के रूप में तथा आउटसोर्स पर नियोजित व्यक्तियों को पारिश्रमिक/मजदूरी के रूप में तृतीय पक्ष के माध्यम से भुगतान किया जाता है।
8.	उत्तरदायित्व	विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत नियुक्त होने के कारण अपने कार्यों एवं विभाग/संगठन के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी।	कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है।
9.	सेवाकाल	60 वर्ष की आयु तक सेवा अवधि।	अवधि निर्धारित नहीं।
10.	कार्य अवधि	सम्पूर्ण अवधि (24×7) सरकार के अधीन।	अधिकतम 08 घण्टे प्रतिदिन।
11.	दण्डात्मक कार्यवाही	कर्मचारी आचरण नियमावली, 2002 एवं अनुशासन एवं अपील नियमावली, 2003 के प्राविधानों के लघु एवं वृहद दण्ड का प्राविधान।	कर्मचारी आचरण नियमावली, 2002 एवं अनुशासन एवं अपील नियमावली, 2003 से आच्छादित नहीं है।
12.	गोपनीयता	Official Secret Act, 1923 के अन्तर्गत गोपनीयता के प्रतिबद्ध।	कार्यों की गोपनीयता के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं।
13.	संवेदनशीलता	सर्वोच्च कानून (संविधान) के अन्तर्गत शासकीय कार्य जनहित को लक्षित करके किये जाते हैं, फलस्वरूप अपने कार्यों के माध्यम से जनहित	जनहित के प्रति संवेदनशील होने के लिए बाध्य नहीं होते हैं।

		के प्रति संवेदनशील होने के लिए बाध्य होते हैं।	
14.	सेवा की प्रकृति	पूर्णकालिक नियोजन	अंशकालिक अथवा कार्ययोजना विशे तक नियोजन।
15.	Volume of Work	संगत नियमों में प्राविधानित।	कार्य निस्तारण हेतु सेवायें ली जाती है।
16.	नियमों का आच्छादन	राज्य सरकार के वित्तीय नियमों एवं सुसंगत सेवा नियमों से आच्छादित।	भारत सरकार/राज्य सरकार के श्रम अधिनियम या अन्य सुसंगत अधिनियम से आच्छादित।
17.	आरक्षण	नियमित नियुक्ति के समय राज्य सरकार के सुसंगत नियमों के अनुसार निर्धारित आरक्षण का अनिवार्यता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।	——
18.	वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन	वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन केवल नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों को ही किया जा सकता है।	कोई वित्तीय अधिकार प्रतिनिधानित नहीं किये जा सकते हैं।

9. उक्त प्रकार से प्रास्थिति में भिन्नता होने के कारण तदर्थ (Ad-hoc)/ संविदा (Contractual)/नियतवेतन (Fix pay)/अंशकालिक (Short term)/दैनिक वेतन (Daily wage)/कार्य–प्रभारित (Work charge), वाह्यस्रोत (Outsource) से नियोजित व्यक्तियों की नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों से समानता नहीं है इन आधारों तथा प्रास्थिति में भिन्नता के कारण उक्तानुसार नियोजित व्यक्ति 'समान कार्य समान वेतन' हेतु अर्ह नहीं है।

10. **मा0 उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा सचिव, कर्नाटक राज्य व अन्य बनाम उमादेवी व अन्य (एआईआर 2006 एससी 1806) में सुसंगत नियमों से इतर की गई नियुक्तियों को अनियमित माना गया है।**

11. **रिट पिटीशन संख्या–814 (एस.एस)/2017 संजय कुमार जोशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा पारित अपने आदेश दिनांक 12.04.2018 में संविदा पर नियोजित उक्त कार्मिक के नियमितीकरण एवं 'समान कार्य समान वेतन' की मांग सम्बन्धी याचिका खारिज कर दी गयी है। (छायाप्रति संलग्न)**

12. कृपया ऊपरिउल्लिखित प्रकार के मामलों में तत्परता से यथोचित कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित निर्देशो का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय :–

(1) स्वीकृत पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में सुसंगत सेवानियमावली के अनुरूप नियमित चयन की कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण की जाय।

(2) स्वीकृत पदों के सापेक्ष किसी भी दशा में संविदा/दैनिक वेतन/कार्य–प्रभारित/नियत वेतन/अंशकालिक/तदर्थ नियुक्तियां बिना शासन की अनुमति के कदापि न की जांय। स्वीकृत पदों पर सुसंगत नियमावली से इतर की गयी नियुक्तियां शून्य मानी जायेंगी और **यदि इस प्रकार की कोई नियुक्तियां भविष्य में की गयी तो उनके पारिश्रमिक का भुगतान सम्बन्धित अधिकारी के वेतन/पेंशन से किया जायेगा तथा सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।**

(3) विभागीय आवश्यकता होने पर कार्मिक विभाग की सहमति से कार्याधिक्य (Volume of work) के औचित्य के आधार पर संबंधित वित्तीय वर्ष में 11 माह अथवा कार्य समाप्ति तक, जो भी पहले हो, बाहय स्रोत के माध्यम से केवल सेवाए ली जा सकती है। उक्त सम्बन्ध में नियोक्ता एवं सेवा प्रदाता एजेंसी के मध्य अनुबंध (Bond) निष्पादित किया जायेगा, न कि नियोक्ता और कर्मचारी के मध्य, उक्त अनुबन्ध में ही दिये जाने वाले पारिश्रमिक एवं ली जाने वाली सेवा/कार्य का स्पष्ट उल्लेख हो।

(4) वाह्य स्रोत से जिन सेवाओं की मूल नियोक्ता को आवश्यकता हो, का सर्विस लेवल ऐग्रीमेन्ट, जिसमें सेवा प्रदान करने वाले आउटसोर्सिंग एजेन्सी के कर्मी का जॉब चार्ट सम्मिलित हो निर्मित किया जाय एवं तदनुसार ही अनुबन्ध पत्र निर्मित कर कार्मिक विभाग की पूर्वानुमति से 11 माह अथवा कार्य समाप्ति तक, जो भी पहले हो, तक नियोजित किये जाने के सम्बन्ध में अनुबन्ध (Bond) निष्पादित किया जाय। उक्त अनुबन्ध पत्र में ही पारिश्रमिक की दर और सेवावधि का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय। आउटसोर्सिंग एजेन्सी द्वारा पूर्व से नियोजित व्यक्ति के अनुबन्ध नवीनीकरण के समय रोटेशन की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

(5) उक्त योजित व्यक्तियों को उनकी सेवाओ हेतु सैनिक कल्याण विभाग अथवा श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान सम्बन्धित आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से किया जाय। **किसी भी दशा में विभाग/संगठन द्वारा नियोजित व्यक्ति को सीधे भुगतान नहीं किया जायेगा और न ही उन्हें संवर्गीय पदनाम अथवा नियमित पदों के सापेक्ष नियोजन अथवा पद का वेतनमान (Pay Scale) दिया जायेगा।**

(6) **शासन की अनुमति से इतर किये जाने वाले ऐसे भुगतान/नियोजन की वसूली सम्बन्धित अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी के वेतन/पेंशन से की जायेगी।**

(7) यह भी स्पष्ट किया जाना है कि वेतनमान किसी पद के साथ सम्बद्व रहता है, दैनिक वेतन कर्मी, कार्य–प्रभारित एवं बाह्यस्रोत के माध्यम से योजित व्यक्ति, जिनकी सेवायें नियोक्ता द्वारा कार्य निष्पादन हेतु ली जा रही है, कोई पद धारण नहीं करते हैं और न ही उनकी प्रास्थिति नियमित कर्मियों की भांति होती है।

12. अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त श्रेणी व व्यक्तियों द्वारा नियमित पदधारकों के समान वेतनमान (Pay Scale) प्रदान करने के दावों, ज विभिन्न न्यायालयों में प्रस्तुत हों, उनका इस शासनादेश में उल्लिखित बिन्दुओं के आलोक में तत्परता से प्रतिवाद किया जाय। **जहां आवश्यकता हो एवं समुचित आधार हो, ऐसे आदेशों के विरुद्ध सक्षम मा0 न्यायालय में अपील/विशेष अनुज्ञा याचिका दायर किये जाने हेतु शासन की अनुमति यथाप्रकिया प्राप्त कर ली जाय।**

13. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्याः 325 /XXVII(7)/2018 दिनांक 19 अप्रैल, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

संख्याः 111 (1) /XXX(2)/2018-30(12)2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव मा. मुख्यमंत्री को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
6. समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संलग्नक-5

संख्या : 379/XXX(2)/2018/30(12)/2018

प्रेषक,

डॉ. एस. एस. संधु,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त प्रमुख सचिव/
सचिव/सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक 29 अक्टूबर ,2021

विषय : विभिन्न विभागों में दैनिक वेतन/संविदा/कार्यप्रभारित/नियत वेतन/अंशकालिक/तदर्थ एवं आउटसोर्स पर तैनात कार्मिकों के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों में आंशिक संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-111/XXX(2)/2018-30(12)2018 दिनांक 27.04.2018 सपठित शासनादेश दिनांक 14.06.2018 द्वारा विभिन्न विभागों में दैनिक वेतन/संविदा/कार्यप्रभारित/नियत वेतन/अंशकालिक/तदर्थ एवं आउटसोर्स पर तैनात कार्मिकों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे। विभागों के अन्तर्गत उक्त श्रेणी के कार्मिकों को नियोजित करने तथा पूर्व नियोजित कार्मिकों के सम्बन्ध में समयवृद्धि सम्बन्धी प्रकरणों के निस्तारण में हो रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त शासनादेश दिनांक 27.04.2018 सपठित शासनादेश दिनांक 14.06.2018 के प्रस्तर-12(2), 12(3) तथा 12(4) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

"12(2) संरचनात्मक ढ़ांचे में सीधी भर्ती हेतु स्वीकृत पदों के सापेक्ष संविदा/दैनिक वेतन/कार्यप्रभारित/नियत वेतन/अंशकालिक/तदर्थ नियुक्तियां बिना शासन की अनुमति के कदापि न की जॉय। पदोन्नति के पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया से इतर संविदा आदि स्रोत से नियुक्ति किसी भी दशा में न की जाय। स्वीकृत पदों पर संगत नियमावली के प्राविधानों से इतर की गयी नियुक्तियां शून्य मानी जायेंगी और यदि इस प्रकार की कोई नियुक्तियां भविष्य में की गयी तो सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करते हुए ऐसे कार्मिक को भुगतान किए गए पारिश्रमिक की वसूली सम्बन्धित अधिकारी के वेतन/पेंशन से की जायेगी।

12(3) उक्त प्रस्तर 12(2) में निहित प्राविधान के बावजूद यदि विभागीय आवश्यकता के दृष्टिगत संविदा अथवा आउटसोर्स एजेंसी (यथा उपनल, पी.आर.डी. अथवा निजी सेवा प्रदाता फर्म) के माध्यम से कार्मिक नियोजित किए गए हों तो निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी :-

(क) विभाग द्वारा सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर यथासंभव शीघ्र नियमित चयन की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु हर संभव प्रयास किया जायेगा।

(ख) विभाग द्वारा सीधी भर्ती के पदों के सापेक्ष पूर्व में यदि कार्यहित को दृष्टिगत रखते हुए पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से संविदा पर कार्मिक नियोजित किए गए हों तो पूर्व नियत संविदा की शर्तों के अनुसार संविदा अवधि का विस्तार पूर्व में दिए जा रहे अन्तराल के साथ 01 वर्ष अथवा नियमित चयन की तिथि, जो भी पहले हो, तक के लिए विभागीय सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए किया जा सकेगा।

(ग) जिन विभागों में केन्द्र पोषित अथवा बाह्य सहायतित परियोजनाएं संचालित हैं और योजना के क्रियान्वयन हेतु गठित संरचनात्मक ढ़ाँचे में सृजित पदों को संविदा से ही भरे जाने का प्राविधान है, उन विभागों में इस प्रकार संविदा पर नियोजित कार्मिकों की संविदा अवधि का विस्तार परियोजना अवधि अथवा सम्यक अन्तराल के साथ संविदा अनुबन्ध में यथा निर्दिष्ट अवधि जो भी पहले हो, तक के लिए विभागीय सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए किया जा सकेगा।

परन्तु विभाग द्वारा परियोजना में सीनियर मैनेजमेंट स्तर के पदों को छोड़कर अन्य पदों पर सीधी संविदा पर नियोजित कार्मिकों को शनैः-शनैः आउटसोर्सिंग के माध्यम से सर्विस कांट्रेक्ट के तहत लिए जाने का प्रयास अवश्य किया जायेगा।

(घ) जिन विभागों में सीधी भर्ती के पदों पर चयन प्रक्रिया में हो रहे विलम्ब के दृष्टिगत अन्तरिम व्यवस्था के रूप में आउटसोर्स एजेंसी (यथा उपनल, पी.आर.डी. अथवा निजी सेवा प्रदाता फर्म) के माध्यम से कार्मिक नियोजित किए गए हों, विभाग द्वारा आउटसोर्स एजेंसी के साथ की गयी संविदा का विस्तार नियमित चयन अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुबन्ध अन्तर्गत नियत अवधि, जो भी पहले हो, तक के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किया जा सकेगा। ऐसे मामलों में आउटसोर्स एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों के साथ विभाग द्वारा न तो सीधे अनुबन्ध किया जायेगा और न ही उन्हें पारिश्रमिक का भुगतान सीधे किया जायेगा, वरन् नियत प्रक्रिया के अनुसार विभाग द्वारा आउटसोर्स एजेंसी के साथ ही अनुबन्ध करते हुए देय धनराशि का भुगतान आउटसोर्स एजेंसी को ही किया जायेगा।

12(4) विभागीय आवश्यकतानुसार जिन सेवाओं की अधिप्राप्ति बाह्य स्रोत से किया जाना संभव/प्रस्तावित हो, उनके सम्बन्ध में आउटसोर्स एजेंसी का चयन नियत संख्या में कार्मिक उपलब्ध कराये जाने के निमित्त करने के बजाए निर्दिष्ट सेवा का अपेक्षित स्तर (Service level) निर्धारित करते हुए अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार सेवाओं की अधिप्राप्ति विभाग के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से की जायेगी। ऐसे चयन के उपरान्त चयनित आउटसोर्स एजेंसी के साथ सर्विस लेवल एग्रीमेंट किया जायेगा जिसमें आउटसोर्स एजेंसी द्वारा नियोजित किए जाने वाले कार्मिक का जॉब चार्ट, एजेंसी को देय पारिश्रमिक की दरें तथा सेवा अवधि आदि के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा और तदनुसार निष्पादित अनुबन्ध के प्राविधानों में कोई विचलन अनुमन्य नहीं होगा।"

2. उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 27.04.2018 सपठित शासनादेश दिनांक 14.06.2018 इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे तथा शेष प्राविधान यथावत रहेगे।

भवदीय,

(डॉ. एस. एस. संधू)
मुख्य सचिव।

संख्या : 379(1)/XXX(2)/2018/30(12)/2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. प्रभारी, मीडिया सैन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
सचिव।

पंत्रांक – 655/61(3)व्यघ (196व्यघ)–सामान्य/17 दिनांक :–22/07/2022 का संलग्नक

शासकीय पत्र संख्या 51005/III(1)/2022/14359/EST/2/2022 दिनांक 19.07.2022 के कम में लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, में कनिष्ठ अभियन्ता संविदा के रुप में आबद्व किये जा रहे कार्मिकों की, तैनाती कार्यालय सहित सूची।

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	तैनाती कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्री मुकेश चन्द्र जुकरिया	JE (c)	श्री खुशाल दत्त	10.07.80	प्रान्तीय खण्ड, पिथौरागढ़
2	श्री पंकज चौहान	JE (c)	श्री प्यार सिंह चौहान	1.11.84	प्रान्तीय खण्ड, रूद्रप्रयाग
3	श्री प्रसून नौटियाल	JE (c)	श्री राम प्रसाद नौटियाल	28.08.90	निर्माण खण्ड, गुप्तकाशी
4	श्री कमलेश चन्द्र	JE (c)	स्व0 श्री खीमा राम	20.03.86	प्रान्तीय खण्ड, अल्मोड़ा
5	श्री वीरेन्द्र सिंह	JE (c)	श्री बालम	10.07.79	निर्माण खण्ड, ऊखीमठ
6	श्री कुवंर सिंह	JE (c)	श्री त्रिलोक सिंह	4.06.84	निर्माण खण्ड, उत्तरकाशी
7	श्री सुरेन्द्र सिंह रावत	JE (c)	श्री माधो सिंह	24.06.91	निर्माण खण्ड, गुप्तकाशी
8	श्री अमित थपलियाल	JE (c)	श्री राजेन्द्र प्रसाद थपलियाल	21.02.91	पी0आई0यू0 बद्रीनाथ
9	मो0 सिराजुद्दीन	JE (c)	श्री हबीब अहमद	17.06.88	निर्माण खण्ड, अल्मोड़ा
10	श्री ललित मोहन सिंह	JE (c)	श्री मोहरसिंह	29.11.85	प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर
11	श्री अकलेश सिंह	JE (c)	श्री खुशी लाल	1.02.91	प्रान्तीय खण्ड, पौड़ी
12	श्री परमानन्द देवराड़ी	JE (c)	श्री चिन्तामणी	26.01.87	निर्माण खण्ड, ऊखीमठ
13	श्री वीरेन्द्र सिंह रावत	JE (c)	श्री जसपाल सिंह	15.01.90	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बड़कोट
14	श्री अनुराग बैंजवाल	JE (c)	श्री ब्रज मोहन	1.07.89	प्रान्तीय खण्ड, रूद्रप्रयाग
15	श्री सन्दीप खाली	JE (c)	दुर्गाप्रसाद खाली	1.01.88	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड श्रीनगर
16	श्री आशीष सिंह धर्मशक्तू	JE (c)	श्री नेत्र सिंह	21.12.90	प्रान्तीय खण्ड, चम्पावत
17	श्री आशीष सिंह पंवार	JE (c)	श्री विकम सिंह	19.06.89	प्रान्तीय खण्ड, भटवाड़ी
18	कु0 भावना रावत	JE (c)	श्री रतन सिंह	2.01.91	निर्माण खण्ड, उत्तरकाशी
19	श्री चण्डी प्रसाद भट्ट	JE (c)	श्री हरिबल्लभ भट्ट	15.06.85	प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर
20	श्री सन्दीप बिष्ट	JE (c)	श्री गब्बर सिंह	18.08.90	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, धूमाकोट
21	श्री अनुराग त्रिपाठी	JE (c)	श्री पी0एन0 त्रिपाठी	26.07.90	प्रान्तीय खण्ड, रूद्रप्रयाग
22	श्री गौरव जोशी	JE (c)	श्री विवेकानन्द	6.08.88	अस्थाई खण्ड, बेरीनाग
23	श्री योगेश कुमार	JE (c)	श्री ओम प्रकाश	27.01.88	अस्थाई खण्ड, घनसाली
24	श्री अरविन्द्र सिंह	JE (c)	श्री जगदीश सिंह	10.05.91	पी0आई0यू0 बद्रीनाथ
25	श्री रजत नेगी	JE (c)	श्री रणजीत सिंह नेगी	25.06.86	प्रान्तीय खण्ड, रुद्रप्रयाग
26	श्री अमित कुमार	JE (c)	श्री सत्यपाल सिंह	20.05.91	प्रान्तीय खण्ड, कर्णप्रयाग
27	श्री सतीश कुमार	JE (c)	श्री देव राम	11.11.87	निर्माण खण्ड, लोहाघाट
28	श्री ईशांक कन्सवाल	JE (c)	श्री महावीर सिंह	30.06.90	पी0आई0यू0 बद्रीनाथ
29	श्री रणदेव सिंह राणा	JE (c)	श्री राजेन्द्र सिंह	10.06.91	निर्माण खण्ड, गुप्तकाशी
30	श्री सुनील प्रसाद	JE (c)	श्री देवेन्द्र प्रसाद	4.06.86	अस्थाई खण्ड, घनसाली
31	श्री विरेन्द्र कुमार	JE (c)	श्री जीवन लाल	11.10.84	निर्माण खण्ड, अल्मोड़ा

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	तैनाती कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
32	श्री अजय जुगत्वान	JE (c)	श्री रणजीत सिंह	15.04.90	पी0आई0यू0 बद्रीनाथ
33	श्री अशोक कुमार मैखुरी	JE (c)	श्री पूरण चन्द्र	5.02.87	अस्थाई खण्ड, चकराता
34	श्री अभिषेक सिंह	JE (c)	श्री हरिमोहन सिंह	5.03.87	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड श्रीनगर
35	श्री अक्षय तोमर	JE (c)	श्री वीरेन्द्र सिंह तोमर	12.03.85	प्रान्तीय खण्ड, कर्णप्रयाग
36	कु0 रीना रतूड़ी	JE (c)	श्री सुन्दर लाल रतूडी	31.03.88	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड श्रीनगर
37	श्री दर्शन सिंह कठायत	JE (c)	श्री सुरेन्द्र सिंह	29.05.89	प्रान्तीय खण्ड, बागेश्वर
38	श्री आशुतोष शर्मा	JE (c)	श्री ब्रह्म स्वरुप शर्मा	28.07.87	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, रूद्रप्रयाग
39	श्री दीपक सेमवाल	JE (c)	श्री रतनमणी सेमवाल	29.04.91	निर्माण खण्ड, गुप्तकाशी
40	श्री जगदीश प्रसाद	JE (c)	श्री उत्सव सिंह	5.05.72	निर्माण खण्ड, कपकोट
41	श्री विपिन कुमार	JE (c)	श्री जयपाल सिंह	27.10.90	निर्माण खण्ड, गौचर
42	श्री विरेन्द्र सिंह दानू	JE (c)	श्री हिम्मत सिंह दानू	21.04.88	निर्माण खण्ड, अल्मोड़ा
43	श्री संजय सिंह कनवाल	JE (c)	श्री उमेद सिंह	3.07.90	अस्थाई खण्ड, बेरीनाग
44	श्री आनन्द प्रसाद	JE (c)	श्री रामप्रसाद	2.01.84	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, रूद्रप्रयाग
45	मो0 आरिफ	JE (c)	श्री मो0 असलम	4.12.90	प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर
46	श्री यतीश बिष्ट	JE (c)	श्री कृष्ण चन्द्र बिष्ट	19.07.87	प्रान्तीय खण्ड, डीडीहाट
47	श्री नरेन्द्र सिंह	JE (c)	श्री जगत सिंह	1.08.90	प्रान्तीय खण्ड, चम्पावत
48	श्री नवीन सिंह चौहान	JE (c)	श्री नारायण सिंह	25.08.88	अस्थाई खण्ड, घनसाली
49	श्री जगमोहन सिंह	JE (c)	श्री करन सिंह	16.01.91	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड श्रीनगर
50	कु0 पूजा राणा	JE (c)	श्री धन सिंह राणा	3.06.91	निर्माण खण्ड, उत्तरकाशी
51	श्री बृजेश जोशी	JE (c)	श्री बलराम जोशी	8.02.91	निर्माण खण्ड, गुप्तकाशी
52	श्री महेश प्रसाद कोठारी	JE (c)	श्री भगवती प्रसाद	10.06.91	पी0आई0यू0 बद्रीनाथ
53	श्रीमती कमला पन्त	JE (c)	श्री राधा कृष्ण पन्त	11.10.87	निर्माण खण्ड, पौड़ी
54	कु0 सोनम पुरोहित	JE (c)	श्री भाष्करानन्द पुरोहित	2.06.91	प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर
55	श्री अनीश भट्ट	JE (c)	श्री शम्भू प्रसाद भट्ट	7.08.90	निर्माण खण्ड, गैरसैंण
56	श्री शकील अहमद	JE (c)	श्री सुआल अहमद	9.04.90	प्रान्तीय खण्ड, बागेश्वर
57	श्री कुलदीप सिंह राणा	JE (c)	श्री बलवीर सिंह राणा	5.01.91	निर्माण खण्ड, गुप्तकाशी
58	श्री अमित कुमार गौड़	JE (c)	स्व0 श्री योगेश्वर प्रसाद गौड़	10.03.83	प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर
59	श्री प्रदीप बिष्ट	JE (c)	श्री भरत सिंह बिष्ट	5.01.91	प्रान्तीय खण्ड, भटवाड़ी
60	कु0 पूजा रावत	JE (c)	श्री जगदीश सिंह रावत	24.04.90	निर्माण खण्ड, श्रीनगर
61	श्री प्रदीप कुमार जोशी	JE (c)	श्री चन्द्रभूषण जोशी	3.11.87	अस्थाई खण्ड, बेरीनाग
62	कु0 विनीता आर्य	JE (c)	श्री रामस्वरुप	2.03.91	प्रान्तीय खण्ड, पौड़ी
63	श्री हिमांशु बहुगुणा	JE (c)	श्री मायाराम	3.01.82	अस्थाई खण्ड, घनसाली
64	श्री अजय पंवार	JE (c)	श्री गबर सिंह पंवार	18.04.89	निर्माण खण्ड, ऊखीमठ
65	श्री पूरन सिंह रावत	JE (c)	श्री लक्ष्मण सिंह	10.04.91	निर्माण खण्ड, अल्मोड़ा
66	श्री चेतन चौहान	JE (c)	श्री दर्मियान सिंह	1.07.91	निर्माण खण्ड, गुप्तकाशी
67	श्री अनुज रावत	JE (c)	श्री जगवीर सिह	4.12.90	पी0आई0यू0 बद्रीनाथ

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	तैनाती कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
68	श्री सुरेश भट्ट	JE (c)	श्री सतीश भट्ट	14.11.87	निर्माण खण्ड, ऊखीमठ
69	श्री धर्मेश रावत	JE (c)	श्री बृजमोहन	1.06.91	प्रान्तीय खण्ड, रुद्रप्रयाग
70	कु0 दीपा बिष्ट	JE (c)	श्री हीरा सिंह बिष्ट	4.11.87	प्रान्तीय खण्ड, रुद्रप्रयाग
71	श्री रविन्द्र चौहान	JE (c)	श्री सुन्दर सिंह चौहान	7.07.89	निर्माण खण्ड, पुरोला
72	श्री योगेश चन्द्र चौबे	JE (c)	श्री बलदेव राज चौबे	11.10.85	प्रान्तीय खण्ड, पिथौरागढ़
73	कु0 नेहा सिंह	JE (c)	पुत्री श्री नारायण सिंह	20.01.91	प्रान्तीय खण्ड, अल्मोड़ा
74	श्री मनोज कुमार	JE (c)	श्री हरि राम	17.03.78	प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत
75	श्री उपेन्द्र कुमार	JE (c)	श्री भगवान सिंह	20.05.89	प्रान्तीय खण्ड, चम्पावत
76	श्री आशीष कुमार	JE (c)	श्री सूरत लाल	2.07.88	निर्माण खण्ड, पौड़ी
77	कु0 गायत्री काण्डपाल	JE (c)	श्री हरीश चन्द्र	29.07.90	प्रान्तीय खण्ड, बागेश्वर
78	श्री मनोज कुमार	JE (c)	श्री मुरली	31.01.83	निर्माण खण्ड, पोखरी
79	श्री गोपेश पाण्डेय	JE (c)	श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय	1.04.81	प्रान्तीय खण्ड, डीडीहाट
80	श्री प्यारेलाल डंगवाल	JE (c)	श्री रामदयाल डंगवाल	31.03.77	प्रान्तीय खण्ड, कर्णप्रयाग
81	श्री संदीप तिवारी	JE (c)	श्री राज नारायण तिवारी	28.06.90	प्रान्तीय खण्ड, डीडीहाट
82	कु0 बिन्ते असद	JE (c)	स्व0 श्री ॲफजाल अहमद	3.01.86	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, श्रीनगर
83	श्री हरीश जोशी	JE (c)	श्री दत्त राम जोशी	15.06.89	प्रान्तीय खण्ड, अल्मोड़ा
84	श्री गोविन्द सिंह अधिकारी	JE (c)	श्री केशर सिंह अधिकारी	30.06.91	प्रान्तीय खण्ड, चम्पावत
85	कु0 मनीषा गुसांई	JE (c)	श्री हरेन्द्र सिंह गुसाई	15.10.88	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, रुद्रप्रयाग
86	श्री मनोज बिष्ट	JE (c)	स्व0 श्री रमेश चन्द्र बिष्ट	4.12.87	प्रान्तीय खण्ड, डीडीहाट
87	श्री मनोज कुमार मौर्या	JE (c)	श्री नरेश कुमार	1.09.90	प्रान्तीय खण्ड, पिथौरागढ़
88	श्री नवल किशोर बिष्ट	JE (c)	श्री करम सिंह बिष्ट	16.08.83	प्रान्तीय खण्ड, डीडीहाट
89	श्री आकाश मोहन	JE (c)	श्री ज्योति प्रसाद धूलिया	15.06.83	निर्माण खण्ड, थराली
90	कु0 अनीता मेहरा	JE (c)	श्री बचन सिंह मेहरा	7.01.89	निर्माण खण्ड, पुरोला
91	कु0 संध्या	JE (c)	श्री वचन सिंह	9.12.86	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड श्रीनगर
92	श्री रविन्द्र बिष्ट	JE (c)	श्री आनन्द सिह बिष्ट	2.06.85	निर्माण खण्ड, बड़कोट
93	श्री अरुण प्रकाश	JE (c)	श्री शिव प्रसाद	24.06.87	निर्माण खण्ड, पार्वो
94	श्री अनिल विजय	JE (c)	श्री मणीराम भट्ट	5.12.90	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बड़कोट
95	श्री सूरज शाह	JE (c)	श्री जगत शाह	26.01.91	निर्माण खण्ड, लोहाघाट
96	श्री जगदीश बिष्ट	JE (c)	श्री नारायण सिंह नेगी	13.02.91	निर्माण खण्ड, कपकोट
97	कु0 अर्चना बिष्ट	JE (c)	श्री जीवन सिंह बिष्ट	26.03.90	निर्माण खण्ड, श्रीनगर
98	श्रीमती ऋचा नेगी	JE (c)	श्री जसपाल सिंह	7.12.87	निर्माण खण्ड, पौड़ी
99	श्री भूपाल सिंह	JE (c)	श्री ज्ञानचन्द्र	10.04.86	निर्माण खण्ड, पुरोला
100	श्रीमती आशालता शाह	JE (c)	स्व0 श्री प्रेम लाल शाह	20.01.91	निर्माण खण्ड, गौचर
101	श्री रविन्द्र सिंह चौहान	JE (c)	श्री हाकम सिंह	14.03.87	प्रान्तीय खण्ड, उत्तरकाशी
102	श्री गौरव कुमार	JE (c)	श्री शिव चरण	13.04.91	निर्माण खण्ड, थराली
103	श्रीमती अंजली	JE (c)	श्री गंगा सरन	8.11.86	निर्माण खण्ड, अल्मोड़ा

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	तैनाती कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
104	श्री राजेन्द्र सिंह	JE (c)	श्री बलबीर सिंह	15.04.90	प्रान्तीय खण्ड, डीडीहाट
105	श्री अमरदीप	JE (c)	श्री ओम प्रकाश	25.03.86	निर्माण खण्ड, गैरसैंण
106	श्री दीपक कुमार	JE (c)	श्री देशराज	12.02.90	निर्माण खण्ड, ऊखीमठ
107	श्री हरेन्द्र कुमार	JE (c)	श्री जीत लाल	27.06.91	निर्माण खण्ड, थराली
108	श्री अंकित सुन्दरियाल	JE (c)	श्री एस0पी0 सुन्दरियाल	20.11.90	प्रान्तीय खण्ड, रूद्रप्रयाग
109	श्री योगेश डोबरियाल	JE (c)	श्री पती राम डोबरियाल	1.12.80	निर्माण खण्ड, बैजरों
110	श्री जीसुख चौधरी	JE (c)	श्री सुखवीर सिंह	20.06.90	निर्माण खण्ड, अल्मोड़ा
111	श्री पंकज शर्मा	JE (c)	श्री सूरत राम	6.06.91	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, रुद्रप्रयाग
112	कु0 दीक्षा नेगी	JE (c)	श्री गंगा सिंह नेगी	10.06.91	निर्माण खण्ड, बड़कोट
113	श्री सन्नी कुमार सैनी	JE (c)	श्री सुरेश चन्द्र सैनी	1.06.90	प्रान्तीय खण्ड, अल्मोड़ा
114	श्रीमती रेखा रावत	JE (c)	पत्नी श्री प्रदीप सिंह रावत	4.05.86	निर्माण खण्ड, पुरोला
115	श्री गौरव भण्डारी	JE (c)	श्री दलवीर सिंह भण्डारी	27.07.88	प्रान्तीय खण्ड, पौड़ी
116	श्री मनोज कुमार गैडा	JE (c)	श्री भूपाल सिंह	1.02.89	प्रान्तीय खण्ड, अल्मोड़ा
117	श्री राहुल सैनी	JE (c)	श्री जसवीर सिंह सैनी	4.07.90	निर्माण खण्ड, बड़कोट
118	श्री नीरज कुमार	JE (c)	श्री खीम राम	2.05.91	निर्माण खण्ड, अस्कोट
119	श्री अशोक कुमार	JE (c)	श्री रमेश लाल	17.07.87	प्रान्तीय खण्ड, पौड़ी
120	श्री धर्मेन्द्र सिंह चौहान	JE (c)	श्री प्रेम सिंह चौहान	23.09.80	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, रुद्रप्रयाग
121	श्री श्रीजय कुमार	JE (c)	श्री प्रेम लाल	7.01.89	प्रान्तीय खण्ड, पौड़ी
122	श्री सुमित सैनी	JE (c)	श्री यशपाल सिंह सैनी	18.05.90	निर्माण खण्ड, अस्कोट
123	श्री प्रदीप पुरी	JE (c)	श्री आनन्द पुरी	18.07.89	निर्माण खण्ड, अस्कोट
124	कु0 नेहा चौहान	JE (c)	श्री हरि किशन चौहान	1.07.90	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बड़कोट
125	श्री प्रशान्त चन्दोला	JE (c)	श्री विजय कुमार चन्दोला	6.01.89	निर्माण खण्ड, थराली
126	श्री राजेन्द्र सिंह	JE (c)	श्री गोविन्द	3.02.84	निर्माण खण्ड, पावौं
127	श्री मुकेश रावत	JE (c)	श्री सुख पाल सिंह	26.08.88	अस्थाई खण्ड, बेरीनाग
128	श्री संजीत सिंह	JE (c)	श्री रामलाल सिंह	1.01.86	निर्माण खण्ड, ऊखीमठ
129	श्री सन्दीप असवाल	JE (c)	श्री गजेन्द्र सिंह असवाल	7.07.86	निर्माण खण्ड, थराली
130	श्रीमती गीता कनवाल	JE (c)	पत्नी श्री हरीश सिंह	12.05.88	प्रान्तीय खण्ड, बागेश्वर
131	श्री नरेन्द्र दत्त	JE (c)	श्री भूपदेव सकलानी	10.05.87	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, धूमाकोट
132	श्री आनन्द डिमरी	JE (c)	श्री राधाकृष्ण डिमरी	27.08.89	प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर
133	श्री अनिल सिंह	JE (c)	श्री नन्दन सिंह	15.03.85	अस्थाई खण्ड, चकराता
134	श्री नन्दन प्रसाद टम्टा	JE (c)	श्री शेखर प्रसाद	10.01.91	निर्माण खण्ड, लोहाघाट
135	कु0 सोनम बिष्ट	JE (c)	श्री रमेश बिष्ट	9.09.90	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बड़कोट
136	श्रीमती रजनी रावत	JE (c)	श्री उमेश्वर सिंह रावत	4.04.86	निर्माण खण्ड, थराली
137	श्री जयेन्द्र सिंह	JE (c)	श्री खेम सिंह	10.07.84	निर्माण खण्ड, गौचर
138	कु0 शिखा	JE (c)	श्री धनश्याम	26.03.91	निर्माण खण्ड, पोखरी
139	श्री कुशराज सैनी	JE (c)	श्री सुरेश पाल सैनी	5.07.90	प्रान्तीय खण्ड, उत्तरकाशी

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	तैनाती कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
140	श्री गणेश प्रसाद चमोली	JE (c)	श्री माधवानन्द चमोली	1.10.80	प्रान्तीय खण्ड, उत्तरकाशी
141	श्री राहुल बिष्ट	JE (c)	श्री जयवीर सिंह बिष्ट	30.08.90	अस्थाई खण्ड, कीर्तिनगर
142	श्री वेद प्रकाश	JE (c)	श्री विद्यासागर	30.01.85	प्रान्तीय खण्ड, पिथौरागढ़
143	श्री आशुतोष वर्मा	JE (c)	श्री भगवत वर्मा	14.06.89	निर्माण खण्ड, कपकोट
144	श्री अनुराग देव	JE (c)	श्री हर्षमणि	30.04.91	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, रुद्रप्रयाग
145	कु0 निवेदिता गुसांई	JE (c)	श्री बी0एस0 गुसांई	3.03.88	निर्माण खण्ड, गैरसैंण
146	श्री नीरज भण्डारी	JE (c)	श्री प्रियदर्शन सिंह भण्डारी	15.07.87	निर्माण खण्ड, बैजरों
147	श्री आशीष भारती	JE (c)	श्री सोहन लाल	20.11.90	प्रान्तीय खण्ड, भटवाड़ी
148	श्री तनवीर आलम	JE (c)	श्री मो0 इस्लाम	3.04.85	निर्माण खण्ड, पौड़ी
149	श्री मनोज	JE (c)	श्री धन सिंह	5.01.79	प्रान्तीय खण्ड, पौड़ी
150	श्री तनवीर आलम	JE (c)	श्री अशफांक	10.10.90	निर्माण खण्ड, पोखरी
151	श्री योगेश प्रताप सिंह	JE (c)	श्री दया लाल	27.02.91	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, रुद्रप्रयाग
152	श्री ज्ञानेन्द्र तिवारी	JE (c)	श्री रमेश चन्द्र	25.05.89	निर्माण खण्ड, अस्कोट
153	श्री सुनील सिंह रावत	JE (c)	श्री खुशहाल सिंह रावत	20.03.88	प्रान्तीय खण्ड, भटवाड़ी
154	श्री प्रेम सिह	JE (c)	श्री नन्दन सिह	4.07.86	निर्माण खण्ड, कपकोट
155	श्री यशपाल सिंह चौहान	JE (c)	श्री उम्मेद सिंह चौहान	4.04.85	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बड़कोट
156	कु0 सुधा महर	JE (c)	श्री शेर सिंह	10.05.88	प्रान्तीय खण्ड, लैन्सडाउन
157	श्री बृजपाल	JE (c)	श्री जगराम सिंह	10.07.87	निर्माण खण्ड, बैजरों
158	श्री किशोर बंगारी	JE (c)	श्री हरी सिंह	12.07.90	अस्थाई खण्ड, बेरीनाग
159	श्री आदित्य कुमार पाटनी	JE (c)	श्री रमेश चन्द्र पाटनी	20.06.89	अस्थाई खण्ड, बेरीनाग
160	श्री सुभाष कुमार	JE (c)	नन्दलाल	5.05.91	निर्माण खण्ड, पोखरी
161	श्री संजय जोशी	JE (c)	दिवाकर दत्त जोशी	8.02.82	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बड़कोट
162	श्री हिमांशु सक्सेना	JE (c)	श्री रामवतार सक्सेना	2.04.78	प्रान्तीय खण्ड, कर्णप्रयाग
163	श्री मोहित वर्मा	JE (c)	श्री विजय पाल वर्मा	4.11.86	निर्माण खण्ड, बैजरों
164	श्री बिरेन्द्र कुमार	JE (c)	श्री दयाल राम	10.05.82	निर्माण खण्ड, अस्कोट
165	श्री अरुण झण्डियाल	JE (c)	श्री ऋषिराम झण्डियाल	4.11.89	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बड़कोट
166	श्री दिनेश सिहं बिष्ट	JE (c)	श्री नैन सिंह बिष्ट	1.07.86	अस्थाई खण्ड, कीर्तिनगर
167	श्री अश्वनी कुमार	JE (c)	श्री बिकम सिंह	5.07.88	प्रान्तीय खण्ड, उत्तरकाशी
168	कु0 संगीता भट्ट	JE (T)	श्री बेणीराम भट्ट	7.06.93	प्रान्तीय खण्ड, टिहरी
169	श्री अखिलेश सिंह राणा	JE (T)	श्री दयाल सिंह राणा	1.05.86	12 वॉ वृत्त, पौड़ी
170	श्री बालम सिंह दानू	JE (T)	स्व0 श्री दान सिंह	10.06.92	प्रथम वृत्त, अल्मोडा.
171	कु0 शोभा	JE (T)	श्री बलराम	12.06.91	6 वॉ वृत्त, उत्तरकाशी
172	श्री जावेद अनवर	JE (T)	मौ0 यासिन	15.12.85	प्रान्तीय खण्ड, टिहरी
173	मौ0 शारिक अंसारी	JE (T)	श्री नसीम अन्सारी	5.08.91	अस्थाई खण्ड, थत्यूड़
174	श्री विपिन कुमार	JE (T)	श्री चन्द्र मोहन	19.06.89	निर्माण खण्ड, गैरसैंण
175	श्री अमित कुमार	JE (T)	श्री मोहन लाल	24.02.92	पी0आई0यू0 बद्रीनाथ

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	पिता / पति का नाम	जन्म तिथि	तैनाती कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
176	श्री देशराज सिंह	JE (E)	श्री रमेश सिंह	28.12.83	वि0 / यां0 खण्ड, पिथौरागढ़
177	श्री धर्मेन्द्र कुमार	JE (E)	श्री महानन्द सिंह	6.06.82	वि0 / यां0 खण्ड, गोपेश्वर
178	श्री अजरुदीन अनसारी	JE (E)	श्री अलाउद्छीन अंसारी	22.08.88	वि0 / यां0 खण्ड, पिथौरागढ़
179	श्री रविन्द्र भण्डारी	JE (M)	श्री गबर सिंह भण्डारी	4.03.89	प्रान्तीय खण्ड, डीडीहाट
180	श्री योगेश दुबे	JE (M)	श्री सन्तोष दुबे	6.07.85	प्रान्तीय खण्ड, पिथौरागढ़

22.7.2022

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून
22/07/22